म.प्र.विधानसभा सचिवालय

इंदिरा गांधी भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, 462004

दूरभाष - - 07552523029 - 07552523048

क्रमांक.2061../वाहन/वि.स./2024 भोपाल, दिनांक.31.2.2024

किराए का वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा

मध्यप्रदेश विधान सभा के उपयोगार्थ किराए पर वाहन लिए जाने हेतु पूर्व में जारी निविदा क्रमांक 16319/वा.वि.स/24 दिनांक 15 सितम्बर 2023 को निरस्त करते हुए पुन: सचिवालय के उपयोगार्थ टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड दस (10) वाहन जो वर्ष 2023 से पूर्व के न हो, इन्डिगो ई.सी.एस./टाटा जेस्ट/फोर्ड एस्पायर/मारूति स्विफ्ट टूर (ए.सी.) इनके समकक्ष अन्य वाहन जिसका एक्स शोरूम मूल्य रूपये 6,50,000/- (छह लाख पचास हजार) तक हो, मासिक आधार पर किराए पर लिया जाना है । **इच्छुक निविदाकार 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक विधान सभा प्रवेश पत्र कार्यालय में रूपये 500/- जमा कर, निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024 तक विधानसभा सचिवालय प्रवेश पत्र कार्यालय में रखे सील बंद बाक्स में प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक निविदा फार्म जमा कर सकते हैं ।** निविदा प्रमुख सचिव म.प्र विधान सभा को संबोधित रहेगी तथा लिफाफे के ऊपर "किराये पर वाहन दिये जाने बाबत् लेख रहेगा । **निविदा उसी दिनांक को अपरान्ह 04.00 बजे निविदाकारों के समक्ष विधान सभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक 04 में खोली जाएगी । निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु फॉर्म के साथ प्रपत्र भाग- 1,2,3 संलग्न है ।**

2/ **निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये प्रतिवाहन 10,000/- कुल राशि रूपये 1,00000/- (एक लाख) मात्र का बैंकर्स चेक/डी.डी. जो प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,** भोपाल के नाम देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी विधान सभा की बेवसाईट **www.mpvidhansabha.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

3/ निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत तथा वाहनों की संख्या कम-ज्यादा करने का अन्तिम अधिकार मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय को होगा ।

(हरीश कुमार श्रीवास)
प्रशासकीय अधिकारी(अ.स)
म.प्र. विधानसभा सचिवालय

भाग - 2

(निविदा की शर्तें)

1	वाहन वर्ष 2023 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
2	वाहन को प्रेहेन्सिव इंश्योरेंस अनुबंध अवधि में चालू रहना अनिवार्य है।
3	वाहन में किसी भी प्रकार की क्षति या दुर्घटना तथा वाहन चालक की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए विधानसभा सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी को जिम्मेदारी लेना होगी।
4	वाहन चालक के पास कमर्शियल लायसेंस होना चाहिए। वाहन चालक का आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर उपलब्ध कराना होगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक के पास पर्याप्ति बेलेंस सहित मोबाइल होना अनिवार्य है ताकि आवश्यक होन पर कॉल कर सके। वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करना होगी।
5	वाहन खराब होने की दशा में ट्रेवल्स एजेन्सी/सेवा प्रदाता को तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी, अर्थात् उसी श्रेणी का दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतिदिवस राशि रूपये 500/- का कटोत्रा किया जावेगा।
6	वाहन प्रतिमाह 1000 कि.मी. रनिंग हेतु उपलब्ध कराना होगा। वाहन सप्ताह में 7 दिवसों के लिए उपलब्ध कराना होगा। चालक के कार्यसमय 12 घंटे का रहेगा। वाहन सुबह 9.00 से रात्रि 9.00 बजे तक उपलब्ध कराना होगा। आवश्यकतानुसार समय परिवर्तन किया जा सकता है।
7	वाहन का रख-रखाव, मरम्मत एवं पेट्रोल/डीजल, बीमा तथा वाहन चालक के वेतन इत्यादि पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी।
8	वाहन मासिक आधार पर उपलब्ध कराए जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना निविदा प्रपत्र के भाग-3 में उल्लिखित प्रभारी अधिकारी के निवास से की जाएगी।
9	मुख्यालय से बाहर प्रवास पर टोल टैक्स एवं पार्किंग इत्यादि पर होने वाले व्यय का भुगतान विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा।
10	सफल निविदाकार द्वारा वाहन प्रदाय में असफल रहने पर जमा की गई धरोहर राशि रूपये 1,0000/- विभाग द्वारा वापस नहीं की जाएगी अर्थात् जप्त कर ली जाएगी। निविदा स्वीकृत होने पर नान-जूडिशियल स्टाम्प पर करार कर निष्पादन करना होग, जिसमें लगने वाले व्यय का भुगतान निविदाकार को करना होगा। मासिक देयक में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कर यदि हो तो काटकर भुगतान किया जाएगा।
11	विधानसभा सचिवालय द्वारा वाहन मांगे जाने पर अगर किसी परिस्थिति में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त संबंध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी द्वारा की जाएगी अथवा मासिक किराया राशि में से अनुपातिक रूप से राशि काट ली जाएगी। संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना वाहन पर आर.टी.ओ. द्वारा प्रदत्त नम्बर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी लिखा नहीं जाएगा।
12	वाहन एक वर्ष की अवधि तक किराए पर लिया जाएगा। आपसी सहमति से इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

13	विधान सभा सचिवालय किराए पर लेने वाले वाहनों की संख्या घटा अथवा बढ़ा सकताहै ।
14	सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
15	किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
16	सेवा प्रदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) द्वारा जारी नियम-शर्तों/आचरण नियम आदि का पालन वाहन चालक करे । ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन पर दंड/जुर्माना सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा ।
17	वाहन का ए.सी. सदैव चालू हालत में होना चाहिए । ए.सी. न चलने/खराब होने की स्थिति में मासिक किराए राशि में से प्रति किलोमीटर रूपये 1.50 की दर से कटौती की जाएगी । वाहन के मॉडल में जो भी सुविधा कंपनी द्वारा प्रदत्त है, उसका उपयोग आवश्यक होने पर किया जा सकेगा एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा ।
18	सेवा प्रदाता ट्रेवल्स अथवा उसके मालिक के नाम से आर.टी.ओ. कार्यालय में कम से कम **10** कमर्शियल वाहन सेवा प्रदाता या ट्रेवल एजेंसी के नाम पर रजिस्टर्ड होने चाहिए ।
19	सेवा प्रदाता एजेन्सी को अपने एक सम्पर्क अधिकारी का मोबाइल नम्बर देना होगा, जो हर वक्त चालू होना चाहिए । विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का फोन रिसीव न करना अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा ।
20	वांछित मॉडल की गाड़ी नहीं भेजने पर रूपये 500/- प्रतिदिन काटे जाएंगे एंव माह में 5 बार या अधिक ऐसा होने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जाकर अनुबंध माना जाकर अनुबंध निरस्त किया जाएगा ।
21	वाहन के मीटर की रीडिंग तेज करना अथवा माइलोमीटर से छेड़छाड़ कर रीडिग बढ़ाना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और ऐसा पाएं जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
22	वाहन किराए पर लेने के संबंध में प्रकाशित निविदा (विज्ञापन) प्रपत्र आदि सभी वाहन किराए पर लेने के संबंध में अनुबंध की शर्तें मानी जाएगी ।
23	सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध अनुसार सेवाएं नहीं देने, सेवाएं संतोषजनक नहीं होने अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध कभी भी निरस्त किया जा सकता है ।
24	सेवा प्रदाता का भविष्य निधि कार्यालय में ई.पी..एफ. संबंधी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ।
25	सेवा प्रदाता का विगत वर्ष का टर्न ओवर 25.00 लाख अनिवार्य है ।
26	प्रतिदिन कार्य समाप्ति उपरांत एवं अवकाश के दिनों में वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के अधीन रहेगा ।
27	वाहन सेवा में लिए जाने के पूर्व वाहन विधानसभा समिति के समक्ष अवलोकन कराए जाने होंगे तथा समिति द्वारा अनुमोदित वाहन ही सेवा में लगाए जाएंगे ।

म.प्र.विधानसभा सचिवालय

इंदिरा गांधी भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, 462004

निविदा-प्रपत्र

भाग -1 (सामान्य जानकारी)

क्रं	विवरण	जानकारी
1	ट्रेवल्स एजेन्सी/सेवा प्रदाता का नाम	
2	पता/दूरभाष क्रमांक	
3	प्रोपराइटर का नाम पिता /पति का नाम मोबाईल क्रमांक	
4	पेनकार्ड नम्बर	
5	जी.एस.टी. क्रमांक	
6	फर्म का बैंक खाता क्रमांक/ आई.एफ.एस.कोड, बैंक पास बुक अथवा बैंक द्वारा सत्यापित पत्र जिसमें बैंक खाते का विवरण हो, संलग्न करें।	
7	अन्य शासकीय विभागों में वाहन अटैच हो तो उसका विवरण	
8	फर्म के वार्षिक टर्न ओवर की जानकारी	
9	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन	
10	सेवा प्रदाता का भविष्य निधि कार्यालय में रजिस्ट्रेशन क्रमांक ई.पी.एफ. संबंधी	
11	टर्न ओवर 25.00 लाख से अधिक होने संबंधी जानकारी, विगत 2 वर्षों की सी.ए. की रिपोर्ट	
12	ट्रेवल्स कम्पनी के संपर्क अधिकारी का नाम, मोबाइल क्रमांक।	
13	ट्रेवल्स कम्पनी के संचालक द्वारा प्रस्तुत बैंक चैकर्स/ डी.डी.क्रमांक बैक का नाम व दिनांक का विवरण	

सील एवं हस्ताक्षर

(निविदा प्रपत्र भाग - 3)

ट्रेवल्स एजेंसी/सेवा प्रदाता का नाम पता तथा दूरभाष

क्रं	वाहन का विवरण	प्रतिमाह 1000 कि.मी रनिंग तथा प्रतिदिन 12 घंटे के लिए दर (एक वाहन हेतु)	सर्विस टैक्स की राशि	योग	की दर मुख्यालय पर	की दर मुख्यालय से बाहर होने पर	मुख्यालय पर	मुख्यालय से बाहर /Night halt charge	स्थान जहां से किमी की गणना की जायेगी/प्रभारी अधिकारी का निवास	प्रदाय किये जाने वाले वाहन का क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tata Zest (A/C) Ford Aspire(A/C) Swift Dezire(A/C) Indigo Ecs(A/C) Ex Showroom price रू. 6,50,000 तक हो Co;our/White Off White									

टीप :- 1. वाहन का Ex showroom price रूपये 6,50,000/- से अधिक होने पर भी उसकी तुलना रूपये 6,50,000/- वाले Ex showroom price वाले वाहन से की जाएगी ।

2. मैंने निविदा की शर्तो को पढ़ लिया है, जिससे मै पूर्ण रूप से सहमत हूं । इस प्रपत्र में मेरे द्वारा कोई काट-छांट (overewriting) नही की गई है ।